Reh. Policy 2021 (1)

संख्या– — /XVIII-(B-2)/21–16(1) पुनर्वास नीति/2007

प्रेषक,

एस०ए० मुरूगेशन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल,
पौड़ी/नैनीताल।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

विषयः– राज्य के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास/विस्थापन हेतु वर्तमान में लागू पुनर्वास नीति, 2011 (यथासंशोधित नीति, 2017) को अधिक्रमित करते हुए नवीन पुनर्वास नीति, 2021 प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में दैवीय/प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामों/परिवारों के अन्यत्र पुनर्वास/विस्थापन हेतु आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2062/XVIII(2)/2011–16(1)/2007 दिनांक 19.8.2011 तथा शासनादेश सं0–141/XVIII(2)/2017–16(1)/पुनर्वास नीति/2007 दिनांक 09.11.2017 के द्वारा पुनर्वास नीति गतिमान है। वर्तमान में गतिमान पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास प्रक्रिया के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों आदि के सम्बन्ध में, आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये गये सुझाव एवं इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर किये गये सम्यक् परीक्षण उपरान्त पुनर्वास नीति, 2011 (यथा संशोधित, 2017) को अधिक्रमित करते हुए नवीन पुनर्वास नीति, 2021 प्रख्यापित की जा रही है।

2– अतः सम्यक विचारोपरान्त, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में दैवीय/प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामों/परिवारों के अन्यत्र पुनर्वास/विस्थापन हेतु शासनादेश दिनांक 19.8.2011 तथा शासनादेश दिनांक 09.11.2017 के माध्यम से गतिमान पुनर्वास नीति, 2011 (यथा संशोधित, 2017) के अनुपालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों को यथासम्भव दूर किये जाने हेतु वर्तमान पुनर्वास नीति 2011/2017 को अधिक्रमित करते हुए नवीन मार्गदर्शन सहित पुनर्वास नीति, 2021 के निम्नानुसार प्रख्यापन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उपरोक्तानुसार, पुनर्वास नीति, 2021 के अन्तर्गत दैवीय/प्राकृतिक आपदा उपरान्त, उत्पन्न आसन्न संकट के कारण, अन्यत्र सुरक्षित स्थल पर पुनर्वास/विस्थापन के लिए चिन्हित किये गये प्रभावित ग्राम/परिवारों हेतु भूमि का चयन सहित अन्य निर्धारित मानक मदों में राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता की अनुमन्यता आदि के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

1. भूगर्भीय सर्वेक्षण के आधार पर, निवास हेतु असुरक्षित घोषित किये गये क्षेत्र/स्थान के यथा सम्भव समीपस्थ सुरक्षित स्थान को पुनर्वास/विस्थापन हेतु चिन्हित किया जाए ताकि प्रभावित परिवार, जीवन यापन के लिये अपनी पैतृक भूमि पर खेती बाड़ी कर सके व अपने परम्परागत व्यवसायों से जीवन यापन कर सके।

क्रमशः 2

2. वित्तीय संसाधनों की सीमितता के दृष्टिगत, संवेदनशील ग्रामों/उनके भागों को चिन्हित करने में अत्यन्त सावधानी बरती जाए, जिससे आसन्न संकट में आ रहे परिवारों को संवेदनशीलता के अनुसार, शीर्ष वरीयता के आधार पर, इस योजना में सम्मिलित किया जा सके। प्राकृतिक आपदाओं से संकटग्रस्त ऐसे ग्राम, जहां जीवन पूर्णतः संकट में हो, को विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार द्वारा सुसंगत नियमों के तहत विस्थापित किया जाएगा। विस्थापन की प्रक्रिया का क्रियान्वयन उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की परिधि में रहते हुए सर्वप्रथम अत्यन्त संवेदनशील तदोपरान्त अति संवेदनशील/संवेदनशील– आपदाग्रस्त ग्राम एवं परिवारों से प्रारम्भ किया जायेगा और तद्नुसार प्रक्रिया गतिमान रहेगी।

3. आपदाग्रस्त ग्रामों के पुनर्वास/विस्थापन के चिन्हीकरण कार्य का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए एवं इस हेतु जिलाधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण में जिलों में तैनात आपदा प्रबन्धन के प्रभारी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाते हुए, जनपद में तैनात सम्बन्धित क्षेत्र के तकनीकी विभाग के अधिशासी अभियन्ता (यथाः– लोक निर्माण विभाग इत्यादि), भू–वैज्ञानिक, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी तथा सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को सम्मिलित कर एक समिति का गठन कर लिया जाए।

4. यथावश्यक, प्रभावित ग्राम/स्थल के विस्थापन पर विचार किये जाने से पूर्व तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श कर उक्त स्थान को मानव निवास हेतु सुरक्षित बनाये जाने के लिये किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के विकल्प पर विचार कर लिया जाए।

5. पुनर्वास योजना बनाते समय प्रभावित परिवारों को विश्वास में लिया जाए एवं योजना के हर भाग में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

6. पूरे समुदाय को विश्वास में लेते हुए, मानव निवास हेतु असुरक्षित व अनुपयुक्त भू–भाग का सर्वेक्षण उपरान्त सम्बन्धित मानचित्रों पर स्पष्ट चिन्हांकन करवा लिया जाए और उक्त की सूचना सार्वजनिक कर ली जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद से बचा जा सके। असुरक्षित व अनुपयुक्त भू–भाग घोषित क्षेत्र को किसी भी प्रकार के मानव हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। विशेष रूप से आवास, गौशाला आदि के निर्माण सहित भू उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रखा जाए। जनसाधारण के अवगतार्थ, असुरक्षित एवं अनुपयुक्त भू–भाग के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र घोषित किये जाने आदेश, आपदा प्रबन्धन अधिनियम/विद्यमान व्यवस्था के अन्तर्गत जिलाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जाय।

7. विस्थापन पर विचार करने से पूर्व तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श करने के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समीपस्थ ही विस्थापन हेतु चयनित भूमि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है तथा चिन्हित भूमि के भविष्य में किसी आपदा से प्रभावित होने की संभावना न्यून है। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित भूगर्भीय विभाग के सक्षम अधिकारी से आख्या एवं इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जायेगा।

8. सम्बन्धित जिलाधिकारी, आपदा प्रभावित एवं संवेदनशील ग्राम/क्षेत्र तथा विस्थापन हेतु चयनित भूमि/क्षेत्र के भू–सर्वेक्षण के सम्बन्ध में, राज्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं विशेष परिस्थिति में, स्वविवेक के अधीन सम्बन्धित जिलाधिकारी, अन्य किसी भू–विशेषज्ञ ऐजेन्सी की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं। इस पर होने वाले व्यय भार का वहन नियमानुसार आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा किया जायेगा। भूमि के असुरक्षित/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा, केवल अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर प्रस्ताव उच्च स्तर पर सन्दर्भित नहीं किया जायेगा।

क्रमशः 3

9. उक्त चिन्हित संवेदनशील स्थान की परिधि/सीमा के अन्तर्गत, वर्तमान में स्थायी रूप से निवास करने वाले प्रभावित ग्राम/शहरी क्षेत्र के हर प्रभावित परिवार से सम्बन्धित सूचनाएं निम्नलिखित प्रारूप पर एकत्रित कर परिवारवार सूची तैयार कर ली जाए।

(क) प्रभावित क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास व व्यवसाय करने वाले प्रभावित परिवारों के मुखिया का नाम, प्रति परिवार सदस्य संख्या, स्थायी निवासी एवं व्यवसाय, जाति तथा आधार नं0।

(ख) परिवार की परिभाषा से आच्छादित न होने वाले व्यक्तियों का विवरण, जैसे अपंग, विधवा, बुजुर्ग बेसहारा, अनाथ व्यक्ति व अन्य।

(ग) भूमिहीन परिवारों की संख्या।

(घ) वर्तमान व्यवसाय व वार्षिक आय एवं सम्पत्ति का सूक्ष्म विवरण।

10. उक्त प्रस्तर 09(ख) श्रेणी के उल्लिखित व्यक्तियों को भी पुनर्वास नीति के अनुसार, पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

11. जिलाधिकारी द्वारा पुनर्वास हेतु चिन्हित परिवारों की सहमति अथवा असहमति प्राप्त की जायेगी। पुनर्वास हेतु लिखित सहमति प्रदान करने वाले परिवारों के तुरन्त पुनर्वास की कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। पुनर्वास हेतु असहमति प्रदान करने वाले परिवारों को जिलाधिकारी द्वारा दैवीय आपदा के दृष्टिगत उनके आवास स्थल एवं परिवार पर आसन्न संकट के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अधिकतम 01 माह का समय देते हुए, यह नोटिस निर्गत किया जायेगा कि पुनर्वास के सम्बन्ध में पुनः उनके द्वारा विचार कर लिया जाय। यदि दैवीय आपदा की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि असहमति के उपरान्त भी परिवार को पुनर्वासित किया जाना नितान्त आवश्यक है, तो तदनुसार असहमति वाले परिवारों का पुनर्वास का प्रस्ताव/प्रकरण भी शासन को प्रेषित किया जायेगा।

12. विस्थापन हेतु भूमि/स्थल का चयन, प्रभावित क्षेत्र के निकट सुरक्षित स्थल एवं उसी जनपद में होना चाहिए, जिससे अवस्थापना सुविधाओं की पृथक से सृजन की आवश्यकता न पड़े। विस्थापन हेतु चयनित भूमि/स्थल के प्रकार को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जाए, जैसे कि:

(क) निजी भूमि

(ख) राजस्व भूमि

(ग) पंचायत भूमि

(घ) अन्य

(च) जहां आवश्यकता हो वहां परिवारों के विस्थापन हेतु वन विभाग की भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाए एवं विस्थापित परिवारों की संवेदनशील व अनुपयोगी भूमि (असुरक्षित भूमि) वन विभाग को हस्तान्तरित की जाए।

13. यदि विस्थापन हेतु प्रभावित परिवारों की निजी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उपलब्ध राजस्व/पंचायत भूमि के अधिग्रहण/हस्तांतरण की कार्यवाही नियमानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी के स्तर से की जायेगी।

14. आपदा प्रभावित ग्राम की ग्राम पंचायत की सहमति तथा यदि विस्थापन अन्य ग्राम सभा की भूमि पर होता है तो उस ग्राम सभा की सहमति प्राप्त कर ली जायेगी। यदि ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं निर्णय लिया जायेगा।

क्रमशः 4

15. विस्थापन हेतु चिन्हित परिवारो के उक्त प्रस्तर 09(क), (ख), (ग) एवं (घ) में दी गयी सूचना के अनुसार, पुनर्वास के लिए लिखित सहमति प्राप्त कर ली जाय। लिखित सहमति प्रदान करने वाले परिवारों के तुरन्त पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी।

16. प्रभावित स्थल के सन्निकट विस्थापन होने की स्थिति में, यथासंभव विस्थापित परिवारों के लिये पृथक से सामुदायिक अवसंरचनायें व अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के व्यय से बचने का प्रयास किया जाए। साथ ही आवश्यक होने पर, विस्थापन के उपरान्त, सामुदायिक सुविधाओं के सृजन पर होने वाले व्यय का विस्तृत आंकलन तैयार करवा लिया जाय तथा उन्हें राज्य व केन्द्र की संगत योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित करने का प्रयास किया जाए। अवस्थापना सुविधाओं के लिये सम्बन्धित विभागों को सूचित करते हुए कार्य योजना तैयार की जाय। अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत मुख्य रुप से बिजली, पानी एवं सड़क इत्यादि की सुविधा सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से उपलब्ध करायी जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों में, उक्त कार्यों हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त कार्य/योजना के निष्पादन हेतु वांछित धनराशि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से अथवा विशेष परिस्थिति में, आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति की जायेगी।

17. विस्थापित किये गये परिवारों के मूल निवास स्थान (जो अब मानव निवास हेतु असुरक्षित घोषित हो चुका है), पर स्थित भवनों व अन्य अवसंरचनाओं को विस्थापन उपरान्त, अनिवार्य रूप से गिराया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका न रहे। साथ ही चिन्हित असुरक्षित भूमि को नियमानुसार, राजस्व/वन विभाग को हस्तान्तरित एवं स्वामित्व प्रदान किया जाए। असुरक्षित घोषित भवनों व अन्य अवसंरचनाओं को ध्वस्त किये जाने, आपदाग्रस्त सम्बन्धित क्षेत्र की तार बाड़ किये जाने, आपदाग्रस्त/अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र होने विषयक चेतावनी पट लगाने एवं सम्बन्धित भूमि को राजस्व भूमि में अधिग्रहण/समायोजित किये जाने का आदेश निर्गत किये जाने आदि विषयक कार्य सम्बन्धित जिलाधिकारी के स्तर किया जायेगा। विस्थापित परिवारों की संख्या के अनुसार उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय भार का वहन आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा किया जायेगा।

18. आपदा प्रभावित क्षेत्र में निवासित परिवारों को पुनर्वास हेतु चिन्हित स्थान पर, भवन निर्माण हेतु सर्वप्रथम सम्बन्धित परिवार/व्यक्ति की स्वयं की उपलब्ध निजी/क्रय की गयी सुरक्षित भूमि पर पुनर्वासित किया जाए। स्वयं की निजी भूमि अथवा क्रय की गयी भूमि उपलब्ध न होने पर राज्य सरकार की भूमि पर पुनर्वासित किये जाने की कार्यवाही की जाए। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम भूमि की सीमा 250 वर्ग मीटर तथा शहरी क्षेत्र में अधिकतम भूमि की सीमा 100 वर्ग मीटर रहेगी। यदि उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त भी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो ऐसे भूमिहीन परिवार, जिनकी वार्षिक आय रू0 3.00 लाख से कम है, को उपयुक्त स्थान पर भूमि क्रय हेतु रू0 1.00 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

19. यदि दैवीय आपदा के दृष्टिगत् संवेदनशील परिवार को केन्द्र/राज्य वित्त पोषित किसी भी आवासीय योजना के अन्तर्गत अन्य सुरक्षित स्थान पर आवास प्राप्त हो गया है, अथवा

क्रमशः 5

आवास हेतु कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, तो भवन का निर्माण कार्य आरम्भ होने की दशा में, प्राप्त उक्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त पुनर्वास नीति 2021 के अनुसार अनुमन्य वित्तीय सहायता के अन्तर की धनराशि ही, सम्बन्धित परिवार को उपलब्ध कराई जाए। यदि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त आवास वर्तमान समय में संवेदनशील स्थल के रूप में चिन्हित हो गया है, तो ऐसे परिवार को पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए।

20. विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार को, संशोधित नीति के अन्तर्गत अनुमन्यता की दृष्टिगत् निम्नानुसार मानक मदों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए :–

क्र0 सं0	मद का नाम	उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि
1.	भवन निर्माण हेतु	रू0 4,00,000/–
2.	कृषि भूमि के स्थान पर बंजर भूमि दिये जाने की स्थिति में बंजर भूमि के सुधार हेतु प्रति हेक्टेयर दी जाने वाली धनराशि	रू0 15,000/–
3.	कृषि व बोझा ढ़ोने वाले जानवरों के स्वामित्व वाले विस्थापित परिवारों को पशुओं के लिए गौशाला निर्माण हेतु	रू0 15,000/–
4.	विस्थापन हेतु विस्थापन भत्ता	रू0 10,000/–
5.	पुनर्वासित होने वाले ग्रामीण दशतकारों को अपना स्वयं का व्यवसाय पुनर्वास के स्थान पर आरम्भ करने हेतु	रू0 25,000/–

21. उपरोक्त समस्त मदों के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा जनपद में प्रस्तावित समस्त ग्रामों का पृथक–पृथक वित्तीय प्रस्ताव पुनर्वास नीति 2021 के अनुसार स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

22. विस्थापन हेतु सर्वेक्षण व विस्तृत कार्य योजना आदि सम्बन्धित जिलाधिकारी के मार्ग–निर्देशन में तैयार की जाए एवं इस कार्य हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। समय–समय पर सम्बन्धित आयुक्त द्वारा इन कार्यों का समन्वय एवं अनुश्रवण किया जाए। उक्त सर्वेक्षण/कार्य योजना पर जो भी व्यय–भार आएगा, उसका वहन आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा किया जायेगा।

23. उपरोक्त मार्गदर्शक दिशा–निर्देशों के आधार पर जनपदवार कार्यवाही कर विस्तृत आख्या/कार्य योजना शासन को उपलब्ध करायी जाए। साथ ही उक्त प्रस्तर–3(2) के अनुक्रम में सर्वप्रथम अत्यन्त संवेदनशील ग्राम/परिवारों को विस्थापन हेतु चयनित किया जाए। अत्यन्त संवेदनशील ग्रामों का पुनर्वास हेतु तत्परता से सर्वेक्षण कर विवरण तैयार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर, सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा विस्थापन का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराया जाए तद्नुसार, शासन स्तर से प्राथमिकता के आधार पर धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

24. प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशील/आपदाग्रस्त चिन्हित किये गये ग्रामों के परिवारों की गणना का कार्य नियमानुसार जिलाधिकारी के स्तर से किया जाए।

25. अत्यन्त संवेदनशील एवं आपदाग्रस्त ग्राम/क्षेत्र के पुनर्वास हेतु चिन्हित परिवारों की गणना के उपरान्त प्रस्ताव सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित करने की तिथि

क्रमशः 6

के बाद, यदि किसी परिवार द्वारा स्वयं के संसाधनों से भवन का निर्माण कर लिया गया है, तो ऐसे परिवार को भी नियमानुसार एवं पुनर्वास नीति 2021 के मानक मदों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने पर पृथक से विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

26. यदि संवेदनशील स्थल पर एक घर में एक से अधिक परिवार निवासरत हैं एवं उनका परिवार रजिस्टर नें नाम अंकित होने के साथ ही उनके पृथक–पृथक राशन कार्ड हैं, तो सभी परिवारों को पृथक–पृथक परिवार मानते हुए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए।
27. पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता परिवार की महिला मुखिया/पत्नी को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि परिवार में महिला मुखिया/पत्नी नहीं है, तो वित्तीय सहायता सम्बन्धित पुरूष को उपलब्ध करायी जायेगी।
28. यदि किसी घर में माता–पिता नहीं है तथा सिर्फ अवयस्क बच्चे निवासरत हैं, तो उन बच्चों को भी परिवार मानते हुए सबसे बड़े बच्चे को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनके पुनर्वास हेतु बनने वाले भवन का निर्माण बच्चों के निकटतम अभिभावक तथा ग्राम पंचायत की देख–रेख में किया जायेगा।
29. यदि कोई परिवार दैवीय आपदा की दृष्टि से चिन्हित संवेदनशील स्थल पर गत 05 वर्षों से सामान्यतया निवासरत नहीं है तथा उनके द्वारा किसी अन्य स्थान पर आवास बना लिया गया है, तो ऐसे परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जायेगी, परन्तुक उक्त शर्ते, ऐसे ग्रामों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी, जो प्रत्येक वर्ष सामयिक आधार पर परम्परागत रूप से प्रवर्जन (Migration) करते हैं। उक्त के अतिरिक्त यदि कोई ऐसा परिवार/मुखिया है, जो कि रोजगार हेतु अन्यत्र कार्य करने के कारण नियमित रूप से संवेदनशील स्थल पर निवास नहीं करता है तथा कुछ अन्तराल में अपने घर आने के उपरान्त पुनः अपने कार्य/आजीविका के कारण बाहर जाकर अन्य स्थान पर किराये के भवन में रहता है, तो ऐसे परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। मुखिया के अन्यत्र स्थान पर किराये के भवन में रहने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा पुष्टि करते हुए संबंधित व्यक्ति से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा।
30. उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता से भूकम्परोधी सुरक्षित आवास बनाये जाने हेतु कार्य की Layout Design/गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी द्वारा किसी अभियन्त्रण विभाग को अधिकृत किया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा भी कार्य की प्रगति/गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जायेगा।
31. भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम 12 माह के अन्दर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार समयबद्ध रूप से देय दूसरी किश्त की धनराशि सम्बन्धित व्यक्ति को प्राप्त होती रहे।
32. यदि किसी व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से भवन का निर्माण नहीं किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति से बैंक की प्रचलित गृह ऋण ब्याज की दर सहित धनराशि की वसूली कर संगत राजकीय कोष में जमा की जायेगी।

क्रमशः 7

33. यदि आपदा प्रभावित किसी परिवार का घर ऐसी भूमि पर बना है, जो कि बेनाप भूमि है अथवा भूमि परिवार के मुखिया के नाम पर नहीं है, ऐसे प्रकरण में निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होने पर पुनर्वास हेतु धनराशि दिये जाने की कार्यवाही की जाए :–

1. सम्बन्धित भूमि पर बना हुआ घर 10 वर्ष या उससे अधिक पूर्व का होना चाहिए।
2. भूमि एवं भवन को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए।

4– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आपदा प्रभावित ग्रामों/परिवारों के पुनर्वास प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0ए0 मुरुगेशन)
सचिव।

संख्या– 886/ XVIII-(B-2)/21–16(1) पुनर्वास नीति/2007 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. संयुक्त सचिव, (डी0एम0 डीविजन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0डी0एम0ए0, सचिवालय परिसर।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
11. व्यय एवं वित्त नियंत्रण अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

3/12/2021.

(एस0ए0 मुरुगेशन)
सचिव।